-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **साइबर क्राइम पुलिस थाना व कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बनाने/नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से ठगी के एक लाख रुपए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी साइबर अपराध सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में साइबर क्राइम पुलिस थाना व कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बनाने/नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 31.05.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बरगहनी के रहने वाले छितानी पुत्र शिवनाथी ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके उनकी बहु को आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर बनाने के नाम पर उनसे व उनके अन्य रिश्तेदारों के साथ ठगी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करते हुए। अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 01.06.2026 को अभियुक्त की पहचान करते हुए थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम करहिया से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ठगी के 1,00,120/ रुपए बरामद हुए है। विवेचना/जांच के क्रम में पाया गया कि अभियुक्त थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला का रहने वाला है और वर्तमान में कानपुर में गार्ड की नौकरी करता है तथा योजनाबद्ध तरीके से बांदा व आस-पास के गांवों में आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली इच्छुक लोगों की सूचना इकट्ठा करता है, साथ ही विकास भवन में आंगनबाड़ी से सम्बन्धित कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उनके कार्यो की जानकारी इंटरनेट से एकत्रित कर लिया। इसके उपरांत अभियुक्त ने कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बरगहनी निवासी छितानी को फोन कर स्वयं को आंगनबाड़ी विभाग का अधिकारी बताया तथा उनकी बहू, जो आंगनबाड़ी में नियुक्त थी, को सुपरवाइजर बनवाने एवं उनके परिवार/रिश्तेदारों की अन्य महिलाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद उनको विश्वास में लेकर उनसे धनराशि प्राप्त करने के लिए पूर्व में ही कानपुर में कुछ ज्वेलर्स की दुकानों को चिंहित कर उन दुकानों के क्यूआर कोड के माध्यम से रुपए ट्रांसफर कराये तथा उन्ही से ज्वेलर्स आदि खरीदकर पुनः उस ज्वेलर्स को सस्ते दामों पर बेच दिया। साक्ष्यों को मिटाने हेतु सभी मोबाइल फोन एवं सिम को तोड़कर फेक दिया जिससे की वह पकड़ा न जाए। इस सम्बन्ध में गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्त द्वारा इस तरह की ठगी और कहां-कहां और कितने लोगों से ठगी की गई है।

बरामदगी-

- 01 लाख 120 रुपये (ठगी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेश कुमार पुत्र रामआसरे निवासी खप्टिहाकलां थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 11/26 धारा 318(4)/238 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री राममोहन राय प्र0नि0 साइबर क्राइम पुलिस थाना
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना
3. म0उ0नि0 सुश्री स्नेहा थाना कोतवाली देहात
4. कां0 राहुल सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना
5. कां0 ललित कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना
6. कां0 दिनेश कुमार साइबर क्राइम पुलिस थाना
7. कां0 ऋषिराज थाना कोतवाली देहात
8. कां0 अभिषेक मिश्रा थाना कोतवाली देहात